संख्या-22/2022/1227 /23-9-2021-06एस0सी0पी0/2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मथुरा ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2022**

विषयः अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1642/ए-1, दिनांक 20.09.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83, एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा पूर्व में स्वीकृत जनपद मथुरा के कुल 01 चालू कार्य हेतु स्तम्भ-12 के अनुसार रू0 16,19,000/- (रूपये सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	प्रथम किस्त के रूप में आवंटन	द्वितीय किस्त/ लैप्स धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	अब तक आवंटन	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मथुरा	''राया सादाबाद मार्ग पर तम्बका से नगला हर्राया'' मार्ग का निर्माण। (ग्रा0मा0)	14/2020/ आ0-173/ 23-9-2019, दिनांक 15.01.2020	0.95	51.66	20.66	4.99	11.70	20.66	16.19	16.19

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त तद दिनाक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः</u>

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- संबंधित मण्डलायुक्त।

3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ ।

5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

6- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

7- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।

8- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।

9- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।

10- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, मथुरा को उनके पत्रांक-3190/ए-1, दिनांक 29.12.2021 के संदर्भ में।

12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।

13- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।

14- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।